भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 43

(जिसका उत्तर मंगलवार, 21 जुलाई, 2015 को दिया गया)

<u>निष्क्रिय कंपनियों के लिए सरल निकास योजना</u>

43. श्री डी. पी. त्रिपाठी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों में महाराष्ट्र सहित देश में निष्क्रिय कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निष्क्रिय कंपनियों द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास से अपना नाम हटवाने के लिए सरकार ने उक्त कंपनियों हेतु "सरल निकास योजना" की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के तहत जो कंपनी, कंपनी की पंजीकरण सूची से हटा दी जाती हैं उन्हें एमसीए21 डाटाबेस में निष्क्रिय कंपनी के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों ने लगातार पिछले तीन वर्षों से अपनी सांविधिक विवरणी दायर नहीं की है उन्हें एमसीए21 डाटाबेस में अकार्यशील कंपनी के रूप में चिन्हित किया गया है। महाराष्ट्र सहित देश में ऐसी कंपनियों का विवरण निम्नानुसार है -

वर्ष	निष्क्रिय (डिफंक्ट) कंपनियों की संख्या	अकार्यशील (डोरमेंट) कंपनियों की संख्या
दिनांक 31.03.2014 के अनुसार	45,603	1,20,956
दिनांक 16.07.2015 के अनुसार	61,449	1,39,127

महाराष्ट्र में दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 10,038 और 33,440 कंपनियां क्रमश: निष्क्रिय (डिफंक्ट) और अकार्यशील (डोरमेंट) कंपनियों के रूप में चिन्हित की गई जबकि दिनांक 16.07.2015 की स्थिति के अनुसार 12,146 और 33,850 कंपनियां निष्क्रिय और अकार्यशील चिन्हित की गई।

(ग) से (ड.): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2010 और 2011 में एक आसान निकास योजना लागू की थी। इस योजना में निष्क्रिय कंपनियों को अपना नाम कंपनी रजिस्टर से हटाने का अवसर दिया गया था। 35,174 कंपनियों ने उक्त योजना का लाभ उठाया जो दिनांक 30.04.2011 को बंद कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, दिनांक 03.07.2011 को प्रारंभ की गई "फास्ट ट्रैक एक्जिट मोड" योजना जो अभी चल रही है, के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमश: 7761 और 14912 कंपनियों ने अपने नाम हटाने के लिए आवेदन किया है।

*****